गई थीं, जैसे पिता का नाम गलत लिखा जाना और गांवों के नामों का छट जाना आदि; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) सरकार को निर्वाचन आयोग से ज्ञात हुआ है कि निर्वाचन नामावलियों में कहीं कहीं गलतियां और विसंगतियां हैं, किन्तु वे नामावालियां प्रायः यथासंभव सही हैं।

(ख) निर्वाचन नामावलियों में की गलतियों के सम्बन्ध में आपत्तियां निर्वाचन आयोग से साधारण निर्वाचकों के ठीक पहले और उन के दौरान में की गई थीं । जहां ऐसी आपत्तियां नियत समय के अन्दर प्राप्त हो गई थीं, वहां उन गलतियों को शुद्ध कर दिया गया था । बहुत देर के बाद पहुंचने के कारण जिन आपत्तियों के सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही नहीं हो सकी उन के बारे में निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि वे इस वर्ष नामावलियों के वार्षिक पुनरीक्षण के दौरान में ऐसी आपत्तियों पर पूरा ध्यान रखें ।

आयोग ने सब राजनीतिक दलों से भी निवेदन किया है कि वह निर्वाचन नामावलियों में पाई जाने वाली किन्हीं भी त्रुटियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के ध्यान में लायें ।

State Bank of India

*374. **Shri S. V. Ramaswamy:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the alleged loss of Rs. 1,60,000 in the State Bank of India branch at Salem and the recovery of the sum within the bank;

(b) who was responsible for the alleged loss;

(c) how it came to be recovered; and

(d) whether any investigation is being carried out in the matter?

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) to (d). I lay a statement on the Table of the House giving the required information [*See* Appendix II, annexure No. 58.]

अस्पृश्यता निवारण

२०६. **स्वामी रामानन्द शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई;

(ख) उत्तर प्रदेश को दी गई कुल राशि में से गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि दी गई और सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ग) यदि कोई राशि खर्च नहीं की गई तो वह कितनी है और उस के खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अलवा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उस के प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Primary School Teachers

210. **Shri D. C. Sharma:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri B. S. Murthy:

Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 259 on the 21st November, 1956 and state:

(a) how far the remaining States have responded to the request of Government to fix the minimum remuneration of primary school teachers; and